संख्या 1583 / इक्कीस–3(17)–78

प्रेषक,

श्री वेद प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
मंडलों के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

भाषा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 1978

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी काम–काज में सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग करने के आदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाते रहे हैं। फ़िर भी कभी–कभी ऐसी शिकायतें आती हैं कि सचिवालय के विभागों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं अथवा जो साहित्य और सामग्री छपायी जाती है उसकी भाषा जटिल और बोझिल होती है। इस संबंध में एक शिकायत विधान सभा में भी उठायी जा चुकी है। हिन्दी को राज भाषा घोषित किये जाने के उपरान्त सरल हिन्दी के प्रयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण शासनादेश समय–समय पर जारी किये गये हैं, उनका सारांश इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

2– अनुरोध है कि आप सरकारी काम–काज में ऐसी सरल और सुबोध हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें जो सहज ही सबकी समझ में आ सके।

भवदीय,
वेद प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या 1583(1) / इक्कीस–3(17)–78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित –

1– सचिवालय के समस्त अधिकारी,
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग,
3– प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक,
4– निबंधक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण आदेशों का सारांश

1– शासनादेश संख्या 4686–तीन–170–47, दिनांक 8 अक्तूबर, 1947 :
हिन्दी का अभिप्राय उस भाषा से है जो प्रदेश की जनता की भाषा है और जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

2– शासनादेश संख्या 6464/3–170(7)52, दिनांक 29 अक्तूबर, 1952 :
हिन्दी के माने उस सरल जबान से है जो देश में और इस प्रदेश में बोली जाती है।
लिपि नागरी होगी और जबान आसान और सरल होगी।

3– प्रेस नोट संख्या 719/इक्कीस–51/60, दिनांक 2 अप्रैल, 1960 :
कठिन और अलंकृत हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित न किया जाय।
सरकारी काम में आने वाली भाषा सरल और सुबोध हो।

4– शासनादेश संख्या 484/इक्कीस–3–1965, दिनांक 27 जनवरी, 1965 :
अगर किसी अंग्रेजी शब्द के लिए हिन्दी शब्द पाने में कठिनाई हो तो उसी को इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। अंग्रेजी के बहुत से प्रचलित शब्दों और वाक्यांशों को कड़ी और अप्रचलित भाषा में अनुवाद करने के बजाय कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि सरल भाषा में मतलब जाहिर हो जाय।

5– पृष्ठांकन संख्या 1957/इक्कीस–3(17)–76, दिनांक 20 जुलाई, 1976 :
सरकारी काम–काज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिये, जटिल और बोझिल नहीं।

सरकारी काम में आम फ़हम शब्दों का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिये और लिखते वक्त दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिये।

हिन्दी का वाक्य विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिये और यह ठीक नहीं होगी कि वह संस्कृत के दुरूह समस्त पदों की लड़ी हो या अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद मात्र।